राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना

वि.क्र. एफ-1-7/19/रा.स./यू.ए.1/ 3291

दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, जो कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति अधिनियम की धारा 11(2) के तहत गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है ।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से **04** वर्ष होगा ।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्चतम कोटि की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्रबल एवं संस्थागत वचनबद्धता होना चाहिए । अभ्यर्थी को पशु चिकित्सा के क्षेत्र का प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए ।

अभ्यर्थी को अपने बेदाग केरियर व असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जांच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लंबित नहीं है।

वर्तमान में सेवारत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।

यदि पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार कोई जांच की गई है तो ऐसे जांच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र में करना होगा ।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उनका आवेदन तथा विस्तृत जीवनवृत्त (2 प्रतियों में) उपरोक्त विवरण व प्रमाण-पत्र के साथ राज भवन की बेबसाइट "governor.mp.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल - 462003 (म.प्र.) को दिनांक 10 जनवरी, 2020 तक पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट डाक से प्रस्तुत करें । लिफाफे पर स्पष्ट लिखा जावे कि ‘‘नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के कुलपति पद के लिये आवेदन’’ ।

अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तक प्राप्त ऐसे आवेदकों के आवेदन भी विचाार में लिये जाऐंगे जिन्हें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नामित किया गया है । प्रतिष्ठित व्यक्ति से तात्पर्य जिस विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन किया जाना है उसके प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों के कार्यरत कुलपति, देश के समस्त भारतीय तकनीकी संस्थान (I.I.T.)/ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (I.I.I.M.S.)/ भारतीय प्रबंध संस्थान (I.I.M.) के निदेशक से है । नामांकन का प्रारूप राजभवन की वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । डाक् में विलम्ब हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

राज्यपाल के सचिव
मध्यप्रदेश

———

राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

NOTICE INVITING APPICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR THE NANAJI DESHMUKH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P)

Advt. No. F 1-7/19/G.S./U.A.1/ 3291 Dated 06 December, 2019

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for The Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur established under the Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009), by the Chancellor out of a panel to be recommended by a Committee, constituted in terms of section 11(2) of above mentioned Act.

The Vice Chancellor shall hold office for a term of 04 years from the date on which he enters office.

As the Vice Chancellor is the Principal and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional committment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished academician in the field of Veterinary Science.

In support of his unblemished career and undoubted integrity, the applicant should file a self attested certificate to the effect that no enquiry is instituted/ commenced/pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau or any other organization against him at any level.

Along with the application, in case the applicant is in service, he should file a certificate of his employer / head of the office to the effect that no departmental enquiry is pending against him.

In case of any enquiry conducted as above in earlier years, details of such cases and final conclusion of the enquiry shall have also to be clearly mentioned by the applicant in the self attested certificate.

The aspirant for the post of Vice-Chancellor may send his application, alongwith bio-data (in two copies) and certificate, in the prescribed format available on the website "governor.mp.gov.in" to the Secretary, Governor Secretariat, Rajbhavan, Bhopal- 462003 (M.P.) on or before 10th January, 2020 by registered/Speed post. "Application for the post of Vice-Chancellor, The Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.)" should be super-scribed on the envelope.

Applications rceived on or before last date through nomination by the eminent persons in the prescribed format shall also be taken into consideration. Eminent person means Principal Secretary of concerned Administrative Department, sitting Vice Chancellor of Madhya Pradesh State Government Universities, Director of I.I.T./ A.I.I.M.S./I.I.M. Format is available on Rajbhavan's website.

Applications received after the prescribed date shall not be considered. This office shall not be responsible for postal delay.

Secretary to Governor
Madhya Pradesh